

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
जौनपुर

पत्रांक—
सेवा में,

दिनांक—

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल,
वाराणसी।

- विषय :- जे०पी० इण्टर नेशनल स्कूल सुजानगंज, जौनपुर के भवन का भूकम्प रोधी प्रमाण -पत्र/जाँच आख्या निर्गत किय जाने के सम्बन्ध में।
- सन्दर्भ :- आपका पत्रांक—एन०ओ०सी०/1146-49/2018-19 दिनांक—08.05.2018

उपरोक्त विषयक विद्यालय भवन का नेशनल बिल्डिंग कोड प्राविधानिक सुरक्षा मानक भूकम्परोधी मानक के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण पत्र एवं 22 बिन्दुओ की आख्या संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
जौनपुर

दिनांक 22/05/18

पत्रांक

1605/1146

प्रतिलिपि:-प्रबन्धक जे०पी० इण्टर नेशनल स्कूल सुजानगंज, जौनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
जौनपुर

NT

जौनपुर

पत्रांक 1605/103 दिनांक-22-05-2018 का संलग्नक ①

जे.पी.ए. इंटरनेशनल स्कूल कुमायूँ-जौनपुर

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा-8से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	-
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	8090.00 वर्गमी०
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है?	हाँ/नहीं
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ/नहीं
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (ऊँचाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ

कमरा-2

(2)

17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी तथा 300 मिमी तथा राइजर 150 मिमी है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First aid Box) स्थापित है?	हाँ

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
जौनपुर।

भवन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

पत्रांक- 1605/105 दिनांक- 22/05/2018 का संलग्नक

प्रमाणित किया जाता है कि जे०पी० इण्टर नेशनल स्कूल सुजानगंज, जौनपुर के संलग्न फोटोग्राफ के अनुसार वर्तमान में निर्मित कक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्राविधानिक भूकम्परोधी मानक के अनुसार निर्मित है।

M
सहायक अभियन्ता
प्रादेशिक अभियन्ता नि०वि०,
ग्रन्थीय खण्ड तंजी मधुसि विभाग
जौनपुर।